रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 1970/ज्येष्ठ 26, 1892

No. 221] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 1970/JYAISTHA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June 1970

S.O. 2194.—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) read with sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) S.O. Nos. 2247 and 2248 dated the 7th June, 1969, the Central Government is pleased to fix with effect from 1st July, 1970 the tariff value in respect of Cashew Kernel at Rs. 930 per quintal for the year 1970-71.

[No. F. 4-3/70-Econ.Py.]

T. P. SINGH, Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1970

एस० ओ० 2194.—उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की प्रथम अनुसूची में दी गई व्याख्या के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के खण्ड 14 के उपखण्ड (2) को उसके साथ पढ़ते हुए तथा भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना एस० ओ० संख्या 2247 तथा 2248 दिनांक 7 जून, 1969 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1970-71 के वर्ष के लिये 1 जुलाई, 1970 से काजू की गिरी का टैरिफ मूल्य 930 रुपये प्रति क्विन्टल नियत करती है।

[सं० 4-3/70-अर्थ नीति]

त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970